

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2018 राजस्व अपील

1. हरिनारायण पुत्र भरता जाति गुर्जर निवासी चान्देरा तहसील बसवा जिला दौसा
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बसवा दिनांक 12.02.2018 प्रकरण
उनवानी सरकार बनाम हरिनारायण मु.न. 06/2018 जैर दफा 91 रा. लैण्ड. रै0ए0।

उपस्थिति : श्री मानसिंह पाटोली अधिवक्ता अपीलान्त उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरीया राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—

दिनांक: 07.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम चान्देरा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 161, रकबा 0.15 है0, ख.न. 162 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.25 है0 पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 12.02.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

दौसा



बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलान्ट की ओर से सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं अब अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।


जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 में ग्राम चान्देरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 161, रकबा 0.15 है०, ख.न. 162 रकबा 0.10 है० कुल रकबा 0.25 है० पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 12.02.2018 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं अब अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करन बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।



प्रकरण संख्या : 32 / 2018 राजस्व अपील


उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम चान्देरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 161, रकबा 0.15 है0, ख.न. 162 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.25 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र तहसीलदार बसवा द्वारा सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।


(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा



निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official